

[2024] 4 एससीआर आर 558:2024 आई. एन. एस. सी. 299

रविशंकर टंडन

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(दाण्डिक अपील सं 3869/2023)

10 अप्रैल 2024

[बी. आर. गवई, न्यायाधीश तथा संदीप मेहता, न्यायाधीश]

विचारण हेतु विवाद्यक

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित एक मामले में, जिसमें अपीलकर्ता-अभियुक्तगण को भा.दं. सं. कि धारा 302 सहपठित धारा 34, धारा 120 बी और 201, 302, 34 और भा.दं. सं. कि धारा 120 बी, के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा पारित किया गया, क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम था कि तालाब से मृतक के शव की बरामदगी अपीलकर्ताओं द्वारा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत दर्ज कथन में दी गई जानकारी के आधार पर हुई थी।

हेडनोट्स:

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 27-- अभियोजन पक्ष ने धारा 27 के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्तों के ज्ञापन और भटगांव में तालाब से मृतक के शव की बाद में बरामदगी पर भरोसा किया--शुद्धता:--

अभिनिर्धारित किया गया:---

धारा 27 के अंतर्गत मामला लाने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक होगा कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, इस तथ्य का पता चलता है, जो कि उक्त कथन देने वाले के ज्ञान में स्पष्ट रूप से था।उसे यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्तों द्वारा दी गई सूचना, जिसके आधार पर शव बरामद किया गया था, से पहले किसी को भी उस स्थान पर शव के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं थी, जहां से उसे बरामद किया गया था - जहां तक धारा 27 के तहत ज्ञापन का संबंध है। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-5 (मृतक के बहनोई) और पीडब्लू-18 (ज्ञापन का एक अन्य साक्षी) के कथनों पर भरोसा किया - पीडब्लू-2 (मृतक के भाई) के साक्ष्य को पीडब्लू-5 के साथ पढ़ने पर पता चलता है कि पुलिस के साथ-साथ इन साक्षियों को मृतक की मृत्यु के बारे में पता था और मृतक का शव धारा 27 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों के कथन दर्ज किए जाने से पहले भटगांव गांव में पाया गया था।सभी कथन सुबह 10:00 बजे के बाद दर्ज किए गए जबकि पीडब्लू-2 ने कथन किया है कि लगभग 08:00 बजे, पुलिस ने उन्हें अभियुक्त द्वारा हत्या करने के बारे में सूचित किया है [2024] 4 एससीआर।¹

1* लेखक

मृतक की हत्या के बाद उसका भटगांव जाना – अभि.सा.-5 ने स्वीकार किया कि वह कुंडा गांव पहुंचा और वहां पहुंचने पर उसे उसके बहनोई और भतीजे (अभि.सा.-2) ने मृतक की हत्या के बारे में बताया गया है – उसके साक्ष्य से ज्ञात होता है कि हालांकि उसका कथन कुंडा पुलिस थाने में लिया गया था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर भटगांव में किए गए थे। इस प्रकार, इन दस्तावेजों को आरोपी व्यक्तियों को फंसाने के लिए तैयार किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है – पीडब्लू-18 ने यह भी स्वीकार किया कि उसने कागजात को पढ़े बिना ही उन पर हस्ताक्षर कर दिए थे और वह भी पुलिस के निर्देश पर। इसके अलावा, जहां तक आरोपी सं 3 के कथन का सवाल है, यहां तक कि धारा 27 के तहत दर्ज कथन भी मृतक के शव की खोज से संबंधित नहीं था। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि भटगांव में तालाब से मृतक के शव की खोज केवल धारा 27 के तहत आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर हुई थी और इससे पहले किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था – अपीलकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की दोषपूर्ण परिस्थिति को साबित करने में यह पूरी तरह विफल रहा – परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर न पहुंचा जा सके – आरोपित निर्णय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के निर्णय को भी खारिज कर दिया गया और अपास्त किया गया – अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया गया। [कंडिका 13-15, 21-23, 26, 27]

साक्ष्य – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के संबंध में विधि-चर्चा की गई।

न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया गया

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1985] 1 एससीआर 88:(1984) 4 एससीसी 116:1984 आईएनएससी 121; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु [2003] सपा 1 एससीआर 130:(2005) 11 एससीसी 600:2005 आई. एन. एस. सी. 333; असर मोहम्मद तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2018] 13 एससीआर 248:(2019) 12 एससीसी 253 :2018 आई. एन. एस. सी. 985; बॉबी बनाम केरल राज्य [2023] 1 एससीआर 335:2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 50:2023 आई. एन. एस. सी. 23.

अधिनियमों की सूची :--

साक्ष्य अधिनियम, 1872; दंड संहिता, 1860।

मुख्य शब्दों की सूची:--

परिस्थितिजन्य साक्ष्य; उचित संदेह से परे; आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन; बाद में शव की बरामदगी; पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी; कथन देने वाले के ज्ञान में स्पष्ट रूप से तथ्य की खोज; अभियुक्त व्यक्तियों को फंसाने के लिए बनाए गए दस्तावेज; अपराध करने वाली परिस्थितियाँ साबित नहीं हुई; परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं हुई।

-----00-----

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मामला:--दाण्डिक अपील संख्या 3869/2023, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के 02.01.2023 के निर्णय और आदेश से, सीआरएलए संख्या 194/2013, दाण्डिक अपील संख्या 2740/2023 और दाण्डिक अपील संख्या 2046 और 2047/2024 के साथ

पक्षकारों की उपस्थिति:--

अपीलकर्ता हेतु :--मनीष कुमार सरन, सुश्री अनन्या त्यागी, चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, सुश्री निशी प्रभा सिंह, सुश्री प्रशस्ती सिंह, सुश्री स्वाति सुरभी, उपेंद्र नारायण मिश्रा, सुश्री अश्वथी एम. के., प्रशांत कुमार उमराव, वी. रामसुब्बू ऋषिकेश सिकरवार, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :--प्रणीत प्रणव, उप महाधिवक्ता, प्रशांत सिंह, अधिवक्ता

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

बी. आर. गवई, न्यायाधीश के अनुसार :

1. एसएलपी (दाण्डिक) संख्या 837 और 1174/2024 में अनुमति प्रदान की गई है।

2. ये अपीलें दाण्डिक अपील संख्या 194, 232 और 277/2013 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की खंडपीठ द्वारा पारित 2 जनवरी, 2023 के निर्णय और आदेश को चुनौती देते हैं, जिसमें खंड पीठ ने अपीलकर्ताओं, अर्थात् रविशंकर टंडन (अभियुक्त सं. 1), उमैद प्रसाद धृतलहरे (अभियुक्त सं. 2), दिनेश चंद्राकर (अभियुक्त सं. 3) और सत्येंद्र कुमार पात्रे (अभियुक्त सं. 4) द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपीलों को खारिज कर दिया गया है और 5 फरवरी, 2013 के दोषसिद्धि और दंड के आदेश को यथावत रखा गया है, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (इसके बाद 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा सत्र विचारण सं. 10/2012 में दर्ज किया गया था। विस्तृत जानकारी के बिना, वर्तमान अपील के तथ्य निम्नानुसार हैं:---

3.1) 02 दिसंबर 2011 को रामअवतार (पीडब्लू-1) ने अपने पुत्र धर्मेन्द्र सतनामी (मृतक) के लापता होने पर पुलिस थाना कुंडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट गुमशुदगी क्रमांक 10/11 दर्ज कराई थी। जब गहन तलाशी की जा रही थी, तो संदेह के आधार पर पुलिस ने अपीलकर्ताओं से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान, अपीलकर्ताओं ने खुलासा किया है कि उन्होंने मृतक की भटगांव नहर रोड पर गला घोटकर हत्या कारित की थी और उसके बाद उसके शव को गांव भटगांव के एक तालाब में फेंक दिया था। इसके बाद, 3 दिसंबर 2011 को पुलिस ने अभियुक्त संख्या 1 से 3 के मेमोरेडम कथन क्रमशः प्रातः लगभग 10:00 बजे, 10:30 बजे तथा 11:00 बजे दर्ज किया था, जबकि अभियुक्त संख्या 4 का मेमोरेडम कथन 6 दिसंबर 2011 को सायं 07:00 बजे दर्ज किया गया था। उपरोक्त मेमोरेडम कथनों के आधार पर पुलिस ने मृतक का शव 3 दिसम्बर 2011 को करीब 04:05 बजे भटगांव स्थित तालाब से बरामद किया गया तथा शव की पहचान की गई थी। तत्पश्चात, उसी दिन, पुलिस थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफआईआर')

क्रमांक 402/2011 पंजीकृत की गई, जिसमें यह दर्ज किया गया कि उपरोक्त अपराध 30 नवंबर 2011 और 3 दिसंबर 2011 के बीच कारित किए गए थे। शवपरीक्षण प्रतिवेदन (एक्सटेंशन पी-22) के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

3.2) अभियोजन का मामला अपीलकर्ताओं के मेमोरेडम कथनों से उत्पन्न हुआ है जिसमें अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया था कि दिनेश चंद्राकर (अभियुक्त क्रमांक 3) ने रविशंकर टंडन (अभियुक्त क्रमांक 1) और सत्येंद्र कुमार पात्रे (अभियुक्त क्रमांक 4) को 90,000 रुपये के बदले में मृतक की हत्या करने का निर्देश दिया गया था, जो कि उक्त हत्या को अंजाम देने के समय दिया जाना था। उक्त निर्देश प्राप्त होने पर रविशंकर टंडन (अभियुक्त क्र. 1) एवं सत्येन्द्र कुमार पात्रे (आरोपी क्र. 4) ने उमैद प्रसाद धृतलहरे (अभियुक्त क्र. 2) के साथ मिलकर मृतक की हत्या की आपराधिक षडयंत्र रचा तथा उसे अंजाम देने की योजना बनाई थी। तदनुसार उपरोक्त तीनों अभियुक्त ने मृतक को चांदी खरीदने के बहाने 30 नवम्बर 2011 को मुंगेली बुलाया था। उमैद प्रसाद धृतलहरे (अभियुक्त क्र. 2) और सत्येन्द्र कुमार पात्रे (अभियुक्त क्र. 4) सत्येन्द्र कुमार पात्रे (अभियुक्त क्र. 4) के एक रिश्तेदार की मोटर साइकिल पर बैठकर दतगांव पहुंचे, जो पुलिस थाना मुंगेली के अंतर्गत आता है। इसके बाद रविशंकर टंडन (अभियुक्त क्र. 1) और मृतक बस से दतगांव पहुंचे थे। इसके बाद तीनों आरोपी मृतक के साथ सत्येंद्र कुमार पात्रे (अभियुक्त क्रमांक 4) के साले सुनील के घर गए थे। उसी रात खाना खाने के बाद वे अपने घर जाने के बहाने सुनील के घर से निकल गए थे। हालांकि, जब वे भटगांव के पास पहुंचे, रविशंकर टंडन (अभियुक्त क्रमांक 1), उमैद प्रसाद धृतलहरे (अभियुक्त क्रमांक 2) और सत्येंद्र कुमार पात्रे (अभियुक्त क्रमांक 4) ने मृतक की गला घोटकर हत्या कर दी और हत्या के उक्त कृत्य से स्वयं को बचाने के लिए अभियुक्तगण ने मृतक के शव को उसके ही कपड़ों से बांधा और उसे एक जूट के बोरे में भर दिया, जो सुनील के घर से खरीदा गया था। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने मृतक के शव को सत्येंद्र कुमार पात्रे (अभियुक्त क्रमांक 4) की मोटरसाइकिल पर ग्राम भटगांव स्थित एक तालाब के पास ले जाकर शव को उक्त तालाब में फेंक दिया गया, जहां से बाद में उसे बरामद किया गया था।

3.3) अन्वेषण के समापन पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली, छत्तीसगढ़ के न्यायालय के समक्ष अभियोग-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं. सं.')

3.4) उपरोक्त अपराधों हेतु विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्त/अपीलार्थियों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया तथा वाद चलाने का दावा किया है।

3.5) अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए 18 साक्षीयों का परीक्षण किया गया और 37 दस्तावेजों को पेश किया गया है। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने किसी भी साक्षी की जांच नहीं की और न ही किसी दस्तावेज का प्रदर्शन किया है।

3.6) वाद के समापन पर, विचारण न्यायालय ने यह पाया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था और तदनुसार अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ 34, धारा 120 बी और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और अभियुक्त संख्या 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ 34 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन सभी को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा पारित किया गया है।

3.7) इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष तीन दायित्व अपीलें दायर किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दायित्व अपीलों को खारिज कर दिया तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दंड तथा दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि किया गया है।

4. इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपीलों प्रस्तुत की गई हैं।

5. हमने दायित्व अपील संख्या 3869/2023 में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सरन, दायित्व अपील संख्या 2740/2023 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, एसएलपी (दायित्व) संख्या 837 और 1174/2024 से उत्पन्न अपीलों, और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री प्रणीत प्रणव (संक्षेप में 'उप महाधिवक्ता') को विस्तार से सुना गया है।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सरन और श्री मिश्रा ने तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे किसी भी दोषपूर्ण परिस्थिति को साबित करने में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, किसी भी मामले में, अभियोजन पक्ष सिद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है, जिससे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया गया है कि अपील स्वीकार की जानी चाहिए और दोषसिद्धि के निर्णय और आदेशों को रद्द तथा अपास्त किये जाने की आवश्यकता है।

7. श्री प्रणव, विद्वान उप महाधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित हुए, इसके विपरीत, प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय दोनों ने समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्यों के ठोस मूल्यांकन पर आधारित हैं और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. निस्संदेह, अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के संबंध में विधि को इस न्यायालय [के शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य](#)² के मामले में दिए गए निर्णय में बहुत सुस्पष्ट किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-----

"152. उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन पर चर्चा करने से पहले हम एक दण्डिक मामले में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों का उल्लेख करते हैं, जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं। इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय **हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1952) 2 एससीसी 71: एआईआर 1952 एससी 343: 1952 एससीआर 1091:1953 क्रि एलजे 129]** है। इस मामले को इस न्यायालय द्वारा आज तक के अनेक निर्णयों में समान रूप से अनुसरण और लागू किया गया है, उदाहरण के लिए, **तुफैल (उपनाम) सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1969) 3 एससीसी 198:1970 एससीसी (क्रि) 55]** और **रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एससीसी 625:एआईआर 1972 एससी 656]** के मामले। महाजन, न्यायाधीश ने **हनुमंत मामले** में जो प्रतिपादित किया है, उसे उद्धृत करना उपयोगी हो सकता है **[(1952) 2 एससीसी 71: एआईआर 1952 एससी 343: 1952 एससीआर 1091:1953 क्रि एलजे 129]**:-----

"यह याद रखना उचित है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के होते हैं, वहां जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले तो पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, तथा इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप ही होने चाहिए। पुनः, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को खारिज कर दिया जाए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह ज्ञात हो कि सभी मानवीय संभाव्यता के भीतर कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:--

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियाँ "स्थापित होनी चाहिए या होनी चाहिए" न कि "स्थापित की जा सकती हैं"। "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए या अवश्य किया जाना चाहिए" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने [शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य \[\(1973\) 2 एससीसी 793:1973 एससीसी \(क्रि\) 1033:1973 सीआरएल एलजे 1783\]](#) में कहा था, जहां ये टिप्पणियाँ की गई

थीं: [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807:एससीसी (क्रि) पृष्ठ 1047]“निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, इससे पहले कि न्यायालय उसे दोषी ठहराए और ‘हो सकता है’ तथा ‘होना चाहिए’ के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है।”

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति तथा प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे तथा यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यता में कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

154. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें तो, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के सबूत के पंचशील का गठन करते हैं।”

9. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी साबित करने से पहले उसे ‘होना चाहिए’ न कि केवल ‘हो सकता है’। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ‘साबित किया जा सकता है’ और ‘साबित किया जाना चाहिए या अवश्य किया जाना चाहिए’ के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर भी है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर दें। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

10. यह स्थापित विधि है कि संदेह, चाहे वह कितना भी ठोस क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। किसी भी अभियुक्त को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो। किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित न कर दिया जाए।

11. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, हमें वर्तमान मामले की जांच करनी होगी।

12. अभियोजन पक्ष का मामला मूलतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 27 के तहत अभियुक्त के मेमोरेडम की परिस्थिति और भटगांव में तालाब से शव की बाढ़ में बरामदगी पर निर्भर करता है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु³² के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया है:-----

"121. अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में धारा 27 का उपयोग करने के लिए पहली अपेक्षित शर्त यह है कि जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को यह कथन देना चाहिए कि उसने पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप एक तथ्य की खोज की है। इस प्रकार, प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारी के ज्ञान में न आने वाले तथ्य की खोज होनी चाहिए। वास्तव में, यह स्वयंसिद्ध है कि सूचना या प्रकटीकरण किसी भी तरह की बाध्यता से मुक्त होना चाहिए। धारा 27 का अगला घटक उस सूचना की प्रकृति और सीमा से संबंधित है जिसे साबित किया जा सकता है केवल उतनी ही जानकारी को प्रमाणित किया जा सकता है, जितनी स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, इससे अधिक कुछ नहीं। धारा में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि ऐसी सूचना को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि वह स्वीकारोक्ति है। साथ ही, अंतिम खंड यह स्पष्ट करता है कि केवल ऐसी सूचना या उसका भाग ही ग्राह्य है जो प्रस्तुत सूचना के माध्यम से खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है। इस प्रकार, यदि आवश्यक हो तो पुलिस को दिए गए कथन में दी गई जानकारी का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि केवल धारा में उल्लिखित प्रकृति की जानकारी ही स्वीकार की जा सके। इस प्रावधान के पीछे तर्क यह है कि यदि दी गई सूचना के परिणामस्वरूप कोई तथ्य वास्तव में सामने आता है, तो इससे कुछ विस्तार तक यह गारंटी मिलती है कि सूचना सत्य है और इसलिए इसे अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्ध करने वाले कारक के रूप में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसा कि कोट्टाया मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा बताया गया है (एआईआर पी 70, कंडिका 10) "स्पष्ट रूप से स्वीकार्य सूचना की सीमा खोजे गए तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए" तथा जानकारी स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। इस खंड के दायरे को स्पष्ट करते हुए, प्रिवी काउंसिल ने सर जॉन ब्यूमोंट के माध्यम से कहा: (आकाशवाणी पृष्ठ 70, कंडिका 10)

"सामान्यतः यह धारा तब लागू होती है जब पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति किसी गुप्त स्थान से कोई वस्तु, जैसे शव, हथियार या आभूषण आदि लाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उस अपराध से संबंधित है जिसका आरोप मुखबिर पर लगाया गया है।" -- (जोर दिया गया)

हमने "सामान्यतः" शब्द पर जोर दिया है क्योंकि विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए उदाहरण संपूर्ण नहीं हैं। ध्यान देने योग्य अगला बिंदु यह है कि प्रिवी काउंसिल ने क्राउन की ओर से पेश अधिवक्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि खोजा गया तथ्य उत्पादित भौतिक वस्तु है और उस वस्तु से अलग से संबंधित कोई भी और हर जानकारी साबित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई यह जानकारी

कि प्रस्तुत किया गया हथियार वही है जिसका प्रयोग उसने हत्या करने में किया था, सम्पूर्ण रूप से स्वीकार्य होगी। क्राउन के अधिवक्ता के इस तर्क को निम्नलिखित शब्दों में जोरदार ढंग से खारिज कर दिया गया था: (एआईआर पृष्ठ 70, कंडिका 10)

"यदि धारा 27 का यही प्रभाव है, तो पुलिस के समक्ष या पुलिस हिरासत में व्यक्तियों द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति कथनों पर पिछली दो धाराओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में बहुत कम सार रह जाएगा। यह प्रतिबन्ध संभवतः विधानमंडल के इस भय से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में किसी व्यक्ति पर अनुचित दबाव डालकर उसे अपराध स्वीकार करने के लिए विवश किया जा सकता है। परंतु यदि प्रतिबन्ध हटाने के लिए केवल यह आवश्यक है कि बाद में उत्पादित वस्तु से संबंधित सूचना को स्वीकारोक्ति में शामिल कर लिया जाए, तो यह मानना उचित प्रतीत होता है कि पुलिस की प्रेरक शक्तियाँ अवसर के अनुरूप ही सिद्ध होंगी, तथा व्यवहार में प्रतिबन्ध अपना प्रभाव खो देगा।"

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अनुच्छेद में "खोजे गए तथ्य" की स्पष्ट व्याख्या की, जिसे इस न्यायालय द्वारा बार-बार उद्धृत किया गया है: (एआईआर पृष्ठ 70, कंडिका 10)

"सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के विचार में धारा के अंतर्गत खोजे गए तथ्य को उत्पादित वस्तु के समतुल्य मानना भ्रामक है; खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु उत्पादित की गई है और इस बारे में अभियुक्त का ज्ञान शामिल है, और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। उत्पादित वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस क्रम में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि 'मैं अपने घर की छत में छिपा हुआ चाकू पेश करूंगा' चाकू की खोज की ओर नहीं ले जाती है; चाकू कई वर्ष पहले खोजे गए थे। इससे यह तथ्य उजागर होता है कि सूचक के घर में उसकी जानकारी के अनुसार एक चाकू छिपा हुआ है, और यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध करने में चाकू का प्रयोग किया गया था, तो खोजा गया तथ्य बहुत सुसंगत है। परंतु यदि कथन में ये शब्द जोड़ दिए जाएं कि 'जिससे मैंने ए को चाकू मारा' तो ये शब्द अग्राह्य हैं क्योंकि इनका संबंध सूचना देने वाले के घर में चाकू मिलने से नहीं है।" -- (जोर दिया गया)

128. इसी प्रकार उदय भान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1962 सप (2) एससीआर 830: एआईआर 1962 एससी 1116 : (1962) 2 क्रि एलजे 251] जे एल कपूर, न्यायाधीश ने कोट्टाया मामले का संदर्भ देने के बाद [एआईआर 1947 पीसी 67:48 क्रि एलजे 533: 74 आईए 65] विधिक स्थिति इस प्रकार बताई: ---

"तथ्य की खोज में पाई गई वस्तु, वह स्थान जहाँ से इसे उत्पन्न किया गया है तथा इसके अस्तित्व के बारे में अभियुक्त का ज्ञान शामिल है।" विधि का उपरोक्त कथन श्री राम जेठमलानी के इस तर्क के विपरीत नहीं है कि खोज का तथ्य भौतिक वस्तु के साथ-साथ उसके संबंध में सूचना देने वाले अभियुक्त की मानसिक चेतना दोनों को जोड़ता है। हालांकि, यदि भौतिक वस्तु अभियुक्त के कहने पर बरामद नहीं की गई होती तो स्थिति क्या होती, इस पर इनमें से किसी भी मामले में चर्चा नहीं की गई है।"

13. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मामला लाने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक होगा कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, इस तथ्य का पता चला है, जो कि उक्त बयान देने वाले के ज्ञान में स्पष्ट रूप से था। केवल उतनी ही सूचना स्वीकार्य होगी, जितनी उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, जिसे खोजा गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रावधान के पीछे तर्क यह है कि, यदि दी गई सूचना के परिणामस्वरूप कोई तथ्य वास्तव में खोजा जाता है, तो यह कुछ गारंटी देता है कि सूचना सत्य है और इसलिए इसे अभियुक्त के विरुद्ध एक दोषपूर्ण कारक के रूप में साक्ष्य में सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है।

14. इसलिए हमें यह जांच करनी होगी कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे यह साबित कर दिया है कि शव की बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज कथन में अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हुई थी। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी जिसके आधार पर शव बरामद किया गया था, उससे पहले किसी को भी उस स्थान पर शव के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं थी जहां से उसे बरामद किया गया था।

15. जहां तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत ज्ञापन का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने रामकुमार (पीडब्लू-5) और अजब सिंह (पीडब्लू-18) के बयानों पर भरोसा किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रविशंकर टंडन (अभियुक्त सं 1) का कथन 3 दिसंबर 2011 को सुबह 10:00 बजे दर्ज किया गया था। उसी दिन उमैद प्रसाद धृतलहरे (अभियुक्त क्रमांक 2) का कथन सुबह 10:30 बजे और दिनेश चंद्राकर (अभियुक्त क्रमांक 3) का कथन सुबह 11:00 बजे दर्ज किया गया था। जबकि सत्येंद्र कुमार पात्रे (अभियुक्त संख्या 4) का कथन 6 दिसंबर 2011 को शाम 07:00 बजे दर्ज किया गया था। रामकुमार (पीडब्लू-5) के साक्ष्य के प्रासंगिक भाग का संदर्भ देना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है: ---

"2. मेरे समक्ष अभियुक्त रविशंकर ने पुलिस को बताया है कि अभियुक्त दिनेश के कहने पर उन्होंने 90,000 रुपये के लिए धर्मेन्द्र की हत्या कर दी है तथा योजना बनाकर रविशंकर ने धर्मेन्द्र को चांदी खरीदने के लिए बुलाया तथा भटगांव में उसकी हत्या कर उसके शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया था। प्रदर्श पी-10 का मेमोरेडम कथन दिखाए जाने पर भाग ए से ए पर उसके हस्ताक्षर होना बताया गया है।

3. उमैद ने मेरे समक्ष पुलिस को यह भी बताया था कि दिनेश के कहने पर सत्तू ने रविशंकर के साथ मिलकर धर्मेन्द्र की हत्या कर दी थी और उसे भाटगांव के तालाब में फेंक दिया था। साक्षी मेमोरेडम कथन प्रदर्श पी-11 है और भाग ए से ए पर उसके हस्ताक्षर स्वीकार किए जाते हैं।

4. दिनेश ने मेरे समक्ष बताया है कि 6 महीने पहले उसने रविशंकर और सत्तू से 90 हजार रुपए में धर्मेन्द्र की हत्या का सौदा किया था। दिनेश ने यह भी बताया है कि शंकर ने कहा था कि काम हो गया है, पैसा दे दो। प्रदर्श पी-12 दर्शाने पर भाग ए से ए पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह बताया है कि इसे मेरे सामने तालाब से जब्त किया गया था।

5. कुंडा गांव मेरे गांव से 16 किमी दूर है। यह सत्य है कि धर्मेन्द्र को 3 तिथि को हत्या के बारे में पता चला था। साक्षी ने यह कथन किया है कि पुलिस ने इसकी सूचना दी थी। दूसरी सुबह, सुबह लगभग 7-8 बजे, यह सत्य है कि मेरे गांव कुंडा पहुंचने पर मेरे बहनोई और भतीजे नरेंद्र ने मुझे अभियुक्त द्वारा की गई हत्या के बारे में बताया था। उस समय तक हम घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे इसलिए यह मैं नहीं बता सकता कि वह धर्मेन्द्र का शव था या नहीं।"

6. मैं 2 तारीख को पुलिस के साथ कुंडा से भटगांव गया था, तो उनका कहना है कि उस समय शाम के करीब ढाई बजे थे। यह सत्य है कि जब मैं भटगांव पहुंचा तो गांव के काफी लोग थे। यह सत्य है कि शव होने के कारण वहां काफी लोग थे। यह कहना सत्य है कि पुलिस शव को मुंगेली थाने ले आई है, जहां पीएम कराया गया है।

7. यह सत्य है कि अभियुक्तगण को मुंगेली थाने लाया गया था। यह असत्य है कि मैंने मुंगेली थाने में अभियुक्तगण के हस्ताक्षर लिए थे। अभियुक्तगण ने मेरे सामने कुंडा थाने में कथन दिया है। अभियुक्तगण के अलावा हमारे परिवार के 5-6 अन्य सदस्य कुंडा थाने में थे। पुलिस ने लगभग 12 बजे कथन लिया था।

... ..

14. हम 4.30-5 बजे भटगांव पहुँच गए हैं। और सूर्यास्त से पहले मुंगेली पहुँच गए हैं। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर ले लिए हैं। साक्षी ने स्वयं कहा है कि मैंने भटगांव में हस्ताक्षर किए हैं। यह कहना गलत है कि मैंने हस्ताक्षर करने से पहले कागजात नहीं पढ़े थे। साक्षी कहना है कि मैंने मुख्य भाग पढ़ लिया है। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त को आज पहली बार देख रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त को सिर्फ नाम से जानता हूँ, साक्षी का कहना है कि मैं उसे चेहरे से भी जानता हूँ। यह कहना गलत है कि आरोपी का नाम मेरे जीजा ने बताया था और नरेंद्र को पुलिस ने बताया था।"

16. यह ध्यान देने योग्य है कि रामकुमार (पीडब्लू-5) मृतक का साला है। उसके साक्ष्य के अवलोकन से ज्ञात होता है उसने स्वीकार किया है कि, गांव कुंडा में पहुंचने पर, उसे उसके साले और भतीजे नरेंद्र कुमार (पीडब्लू-2) ने मृतक की हत्या के बारे में सूचित किया था, जो कि अभियुक्तगण द्वारा की गई थी। उसने कहा कि, उस समय तक वे घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे और इसलिए उन्हें पता नहीं था कि यह शव था या नहीं। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि जब वे भटगांव पहुंचे तो गांव के कई लोग वहां थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि शव के कारण कई लोग वहां थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि आरोपियों ने कुंडा पुलिस थाने में अपना कथन दिया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि वे लगभग 04:30 बजे से 05:00 बजे के बीच भटगांव पहुंचे थे और सूर्यास्त से पहले मुंगेली पहुँच गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने भटगांव में पंचनामा पर हस्ताक्षर किए थे।

17. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, इस साक्षी (पीडब्लू-5) के अनुसार, हालांकि कथन कुंडा में लिया गया था, लेकिन उस पर भटगांव में हस्ताक्षर किए गए थे।

18. अजब सिंह (पीडब्लू-18) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज मेमोरेडम और उसके बाद शव की बरामदगी के मामले में एक और साक्षी है। उसने कहा कि रविशंकर ने पुलिस को बताया गया है कि धर्मेन्द्र की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। हालांकि, उसने मुख्य परीक्षा में कहा कि उमैद और दिनेश ने उसके सामने पुलिस को कुछ नहीं बताया है। उनकी प्रतिपरीक्षा का उल्लेख करना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है: ---

"4. यह सत्य है कि मैं कोटवारी का काम करता था। यह सत्य है कि मैंने कागज नहीं पढ़े थे। यह सत्य है कि मैंने पुलिस के कहने पर 3-4 कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। यह सत्य है कि कोटवार होने के कारण मुझे नियमित रूप से थाने जाना पड़ता था। यह सत्य है कि मैंने पुलिस के कहने पर कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना गलत है कि मैंने थाना कुंडा में हस्ताक्षर किए थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हस्ताक्षर कुंडा में किए गए थे।"

19. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अजब सिंह (पी.डब्लू.-18) ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने हस्ताक्षर करने से पहले कागजात को नहीं पढ़ा था। उसने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के निर्देश पर 3-4 कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उसने यह भी कहा है कि उसने दण्डावण में कथन पर हस्ताक्षर किए थे।

20. नरेन्द्र कुमार (पी.डब्लू.-2) मृतक का भाई है। उन्होंने बताया कि उनके भाई के लापता होने के बाद अगले दिन सुबह करीब आठ बजे पुलिस उनके घर आई और बताया कि उनके भाई धर्मेन्द्र की रविशंकर, सतनामी, उमैद और सत्येन्द्र ने हत्या कर दी है। इस के पश्चात् वे पुलिस के साथ भटगांव गए थे। नरेन्द्र कुमार (पीडब्लू-2) के साक्ष्य का अंश इस प्रकार है: ---

"3. सुबह करीब 8 बजे पुलिस मेरे घर आई और बताया कि मेरे भाई धर्मेन्द्र की रविशंकर, सतनामी, उमैद और सत्येन्द्र ने हत्या कर दी है। उसके बाद हम पुलिस के साथ भटगांव गए थे। रामकुमार, कृष्णा, बंशी मेरे साथ गए थे।"

21. नरेन्द्र कुमार (पीडब्लू-2) के साक्ष्य को रामकुमार (पीडब्लू-5) के साक्ष्य के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पुलिस और इन साक्षियों को धर्मेन्द्र सतनामी की मृत्यु और शव के भटगांव में पाए जाने के बारे में पता था, इससे पहले कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्तगण के कथन दर्ज किए जाते हैं। सभी कथन सुबह 10:00 बजे के बाद दर्ज किया गया है, जबकि रामकुमार (पीडब्लू-2) ने कहा कि सुबह करीब 08:00 बजे पुलिस ने उन्हें मृतक की हत्या करने वाले अभियुक्तगण के बारे में सूचना दी और उसके बाद वे भटगांव गया था। रामकुमार (पीडब्लू-5) ने यह भी स्वीकार किया कि वह कुंडा गांव पहुंचा और उसके पहुंचने पर उसके साले और भतीजे ने उसे अभियुक्तगण द्वारा की गई हत्या के बारे में बताया गया था।

22. इसलिए हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि भटगांव में तालाब से मृतक के शव की खोज केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्तगण द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर हुई थी और इससे पहले किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अजब सिंह (पीडब्लू-18) ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने कागजात को पढ़े बिना ही हस्ताक्षर कर दिए थे और वह भी पुलिस के निर्देश पर।

23. रामकुमार (पीडब्लू-5) के साक्ष्य से पता चलता है कि यद्यपि उसका बयान कुंडा पुलिस थाना में लिया गया था, लेकिन उस पर भटगांव में हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार, इन दस्तावेजों को आरोपी व्यक्तियों को फंसाने के लिए तैयार किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, जहां तक दिनेश चंद्राकर (अभियुक्त क्रमांक 3) के कथन का प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज कथन भी मृतक के शव की खोज से संबंधित नहीं है। वास्तव में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज उनके कथन में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला है जिससे किसी भी तरह का कोई दोषपूर्ण तथ्य सामने आए।

24. एक अन्य पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त के मेमोरेडम को अभिलेखित करने के संबंध में एकमात्र साक्ष्य तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी (आईओ) (पीडब्लू-16) बी.आर. सिंह का है। इसका सुसंगत भाग इस प्रकार है:---

"1. ... मैंने अभियुक्त रविशंकर का कथन उसके अभिरक्षा में लेने के बाद मेमोरेडम एक्सपी-10 के अनुसार लिखा था, जिसमें भाग बी से बी पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने अभियुक्त का कथन उसके मेमोरेडम प्ररूप पी-11 के अनुसार लिखा था और अभियुक्त दिनेश का कथन उसके मेमोरेडम प्ररूप पी-12 के अनुसार लिखा था, जिसमें भाग बी से भाग बी पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

25. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू-16) यह बताने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या जानकारी दी गई थी जिसके कारण शव की खोज हुई थी। साक्ष्य इस बारे में भी पूरी तरह मौन है कि शव की खोज कैसे हुई और बाद में उसे कैसे बरामद किया गया था। इसलिए हम पाते हैं कि अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू-16) का साक्ष्य भी मामले को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे में नहीं लाएगा। इस संबंध में [असर मोहम्मद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁴](#) और [बॉबी बनाम केरल राज्य⁵](#) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है।

26. इसलिए हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध किसी भी तरह की दोषपूर्ण परिस्थितियों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। किसी भी मामले में, परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि यह अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर न पहुंचे, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

4 (2018) 13 SCR 248; (2019) 12 SCC 253; 2018 INSC 985

5 (2023) 1SCR 335 : 2023 SCC Online SC 50; 2023 INSC 23

27. परिणाम में, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:---

(i) अपीलों की अनुमति दी जाती है।

(ii) उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 2 जनवरी 2023 का निर्णय तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5 फरवरी 2013 का निर्णय रद्द तथा उसे अपास्त किया जाता है; तथा

(iii) अपीलकर्ताओं को लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का निर्देश दिया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

28. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, का निराकरण कर दिया जाएगा।

हेडनोट तैयार किया गया :दिव्या पांडे के द्वारा

प्रकरण का परिणाम:---

अपीलों की अनुमति दी जाती है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।